[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 28 मार्च, 2017

अधिसूचना
सं0 10/2017-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012- सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(i) क्रम सं0 21 के सामने,

(क) स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, “0713 सिवाय 0713 20 00, 0713 40 00 और 0713 60 00 के” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “दालों सिवाय चना (गारबेन्जोस), मसूर या तूर के” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) क्रम सं0 21ख के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि “मूसर सिवाय तूर के” प्रति:स्थापित की जाएंगी,

(iii) क्रम सं0 21ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“21ग	0713 40 00, 0713 60 00	तूर	10 %	-	-”,

(iV) क्रम सं0 34, स्तंभ (4) की प्रविष्टि “शून्य” के स्थान पर प्रविष्टि “10 %” प्रतिस्थापित की जाएगी ।

(फा.सं.354/68/2006-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 9/2017-सीमा शुल्क, तारीख 23 मार्च, 2017 सा.का.नि. 287(अ), तारीख 23 मार्च, 2017 द्वारा किया गया था ।